//प्रेस विज्ञप्ति//

- **गरियाबंद पुलिस द्वारा म्यूल बैंक खाता धारक समेत संवर्धक/ब्रोकर के विरूद्ध कार्यवाही करते 10 लोगों को किया गया गिफ्तार।**
- **बैंक खातों को किराये पर देने एवं किराये पर लेने वालों के उपर कार्यवाह की गई।**
- **सम्पूर्ण कार्यवाही थाना राजिम।**

विवरण - वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन में भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल के माध्यम से जिला गरियाबंद क्षेत्र के म्यूल खाता धारकों के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 30.05.2024 से दिनांक 17.03.2025 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा राजिम के 07 बैंक खाता धारकों के एकाउण्ट में देश के अलग-अलग राज्य में हुए अनेकों लोगों से अलग-अलग ठगी का कुल रकम 04 करोड़ 16 लाख 96 हजार 238 रूपये को 07 बैंक खातो में प्राप्त किया गया है। उपरोक्त 07 बैंक खातों का उपयोग आनलाईन ठगी के रकम प्राप्त करने में प्रयोग होने व अवैध धन लाभ अर्जित करने के लिए उपयोग में लिये जाने के साथ उपरोक्त खाता धारकों द्वारा यह जानते हुए कि उक्त रकम छल से प्राप्त किया गया रकम है। जिसमें साइबर फ्राड के पैसे एक से अधिक बार जमा हुए है। उपरोक्त सभी खाता धारको के द्वारा षडयंत्र पूर्वक साइबर फ्राड कर अवैध धन अर्जित करना पाये जाने से उक्त खाता धारकों के विरूद्ध अपराध धारा 317(2), 317(4), 318(4), 61(2)(क), 3(5) बी.एन.एस. का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान उक्त खाता धारको को नोटिस जारी कर थाना बुलाकर पुछताछ किया गया। जिस पर आरोपीगणों द्वारा देश के अलग-अलग हिस्सो से साइबर ठगी की राशि को

अपने एकाउंट में लेना स्वीकार किये। बैंक खातों को किराये पर देने एवं किराये पर लेने वालों के उपर कार्यवाह करते हुए आरोपी 01) राधा साहनी देवारपारा राजिम 02) युवराज आदिल शास्त्री चौक बकली थाना राजिम 03) बांकेबिहारी निषाद संघर्ष चौक शंकर नगर नयापारा थाना नयापारा 04) कुंजबिहारी निषाद संघर्ष चौक शंकर नगर नयापारा थाना नयापारा 05) रवि सोनकर निवास बगदेहीपारा नयापारा थाना नयापारा 06) पवन कुमार मिरी तनामीपारा बकली थाना राजिम 07) मोहनीश कुमार ताण्डिया निवासी कोतवालपारा नवाागांव (खिसोरा) थाना मगरलोड 08) हरीश साहू भाठापारा छांटा थाना नयापारा 09) रवि कुमार टिलवानी टिलवानी उम्र 49 वर्ष निवासी महादेव घाट रायपुरा थाना डी.डी. नगर रायपुर 10) योगेन्द्र कुमार बंजारे पटेलपारा खिसोरा थाना मगरलोड़ को समक्ष गवाहन के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना राजिम पुलिस एवं स्पेशल टीम की विशेष भूमिका रही।

क्या होता है म्यूल एकाउण्ट -

मनी लॉन्ड्रिग के लिए इस्तेमाल किये जाने वाला एकाउण्ट होता है। साइबर फ्राड के माध्यम से धोखाधडी कर कमाए गए पैसे को एक एकाउण्ट से दूसरे एकाउण्ट में ट्रांसफर किया जाता है। जिसके लिए बैंक खातों को किराये पर लिया जाता है। म्यूल एकाउण्ट का पता लगाने के लिए म्यूल एकाउण्ट डिटेक्शन इस्तेमाल किया जाता है।

आम जनता से गरियाबंद पुलिस की अपील अपने खाते को किसी दूसरे व्यक्ति को अवैध धन अर्जिन करने के लालच में किराये से देना या बेचना अपराध के श्रेणी में आता है। इस प्रकार के कृत्य से बचे और अपने साथ दूसरों को भी संदेश दे।

गिरफ्तार आरोपी -

01. राधा साहनी पिता तुलसीराम साहनी उम्र 43 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 01 देवारपारा राजिम, थाना राजिम जिला गरियाबंद।
02. युवराज आदिल पिता स्व धनीराम उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 02 शास्त्री चौक बकली थाना राजिम, जिला गरियाबंद।
03. बांकेबिहारी निषाद पिता गोपालराम निषाद उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 19 संघर्ष चौक शंकर नगर नयापारा थाना नयापारा जिला रायपुर।
04. कुंजबिहारी निषाद पिता गोपालराम निषाद उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 19 संघर्ष चौक शंकर नगर नयापारा थाना नयापारा जिला रायपुर।
05. रवि सोनकर पिता संतुराम सोनकर उम्र 33 निवास बगदेहीपारा नयापारा थाना नयापारा जिला रायपुर।
06. पवन कुमार मिरी पिता मोहन उम्र 28 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 09 सतनामीपारा बकली थाना राजिम जिला गरियाबंद।
07. मोहनीश कुमार ताण्डिया पिता नरेश कुमार टाण्डिया उम्र 29 वर्ष निवासी कोतवालपारा नवाागांव (खिसोरा) थाना मगरलोड जिला धमतरी (छ.ग.)

08. हरीश साहू पिता प्रदीप कुमार साहू उम्र 31 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 04 भाठापारा छांटा थाना नयापारा जिला रायपुर।

09. रवि कुमार टिलवानी पिता स्व लीलाराम टिलवानी उम्र 49 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 69 साई मंदिर महादेव घाट रायपुरा थाना डी.डी. नगर रायपुर जिला रायपुर।

10. योगेन्द्र कुमार बंजारे पिता राम कुमार बंजारे उम्र 29 वर्ष साकिन वार्ड नम्बर 09 पटेलपारा खिसोरा थाना मगरलोड़ जिला धमतरी।